



2026:AHC: 175803

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या - 5101 वर्ष 2026

वकील अहमद

.....पुनरीक्षणवादी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....विपक्षी(गण)

पुनरीक्षणवादी(गण) के अधिवक्ता

: राजीव कुमार सैनी

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 86

माननीय न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरि

1. पुनरीक्षणवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री राजीव कुमार सैनी और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. श्री सुनील कुमार को सुना गया।
2. पुनरीक्षणवादी के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण उस अनुतोष के साथ प्रस्तुत किया गया है जिसका उल्लेख प्रार्थना खंड में किया गया है। पुनरीक्षण के प्रार्थना खंड में उल्लिखित अनुतोष नीचे दिया गया है:-

"अतः, अत्यंत सम्मानपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय कृपापूर्वक वर्तमान पुनरीक्षण को स्वीकार करे और विद्वान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बिजनौर द्वारा द.प्र.सं. की धारा 125 के अंतर्गत, थाना कोतवाली सिटी, जिला बिजनौर से संबंधित वाद संख्या 125 वर्ष 2024 (श्रीमती नगमा और एक अन्य बनाम वकील अहमद) में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 10.07.2026 को अपास्त करे।

यह आगे प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय कृपापूर्वक विद्वान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बिजनौर के समक्ष लंबित द.प्र.सं. की धारा 125 के अंतर्गत,

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



थाना कोतवाली सिटी, जिला बिजनौर से संबंधित वाद संख्या 125 वर्ष 2024 (श्रीमती नगमा और एक अन्य बनाम वकील अहमद) की कार्यवाहियों पर रोक लगाए, अन्यथा पुनरीक्षणवादी को अपूरणीय क्षति और हानि होगी।"

3. पुनरीक्षणवादी के विद्वान अधिवक्ता तर्क प्रस्तुत करते हैं कि प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बिजनौर ने आदेश दिनांक 10.07.2026 के माध्यम से पुनरीक्षणवादी को अपनी पत्नी/विपक्षी संख्या 2 को 4000/- रुपये प्रतिमाह और अवयस्क पुत्री/विपक्षी संख्या 3 को 1000/- रुपये प्रतिमाह आवेदन की तिथि अर्थात् 22.05.2026 से अंतरिम भरण-पोषण के रूप में भुगतान करने का निर्देश दिया। वह आगे तर्क प्रस्तुत करते हैं कि अंतरिम भरण-पोषण की राशि पुनरीक्षणवादी की आय के अनुरूप नहीं है। वह आगे तर्क प्रस्तुत करते हैं कि पुनरीक्षणवादी द्वारा अभी तक कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, फिर भी विचारण न्यायालय द्वारा 5000/- रुपये प्रतिमाह (पत्नी को 4000/- रुपये और अवयस्क पुत्री को 1000/- रुपये) की अंतरिम भरण-पोषण राशि प्रदान की गई है। वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि पुनरीक्षणवादी आदेश की तिथि से अंतरिम भरण-पोषण राशि का भुगतान करने के लिए तैयार है और यदि विपक्षी संख्या 2 और 3 विचारण न्यायालय के समक्ष द.प्र.सं. की धारा 125/बी.एन.एस.एस. की धारा 144 के अंतर्गत लंबित आवेदन में सफल होते हैं, तो **रजनेश बनाम नेहा और एक अन्य, (2021) 2 सर्वोच्च न्यायालय वाद 324** के निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के अनुसार आवेदन की तिथि से भरण-पोषण प्रदान किया जा सकता है। वह आगे तर्क प्रस्तुत करते हैं कि वह इस पुनरीक्षण पर गुण-दोष के आधार पर बल नहीं देना चाहते हैं और संबंधित परिवार न्यायालय को द.प्र.सं. की धारा 125/बी.एन.एस.एस. की धारा 144 के अंतर्गत आवेदन का शीघ्रता से अंतिम न्यायनिर्णयन करने का निर्देश देते हुए इसे निस्तारित किया जा सकता है। वह आगे तर्क प्रस्तुत करते हैं कि न्याय के हित में आवेदन की तिथि अर्थात् 22.05.2026 से भरण-पोषण राशि के बकाये को द.प्र.सं. की धारा 125/बी.एन.एस.एस. की धारा 144 के अंतर्गत लंबित आवेदन के अंतिम निस्तारण तक स्थगित रखा जा सकता है। वह आगे वचन देते हैं कि यदि यह न्यायालय पुनरीक्षणवादी के पूर्वोक्त अनुरोध को स्वीकार करता है, तो पुनरीक्षणवादी आदेश की तिथि अर्थात् 10.07.2026 से भरण-पोषण राशि के सभी देयकों/बकाये को चुकता कर देगा और वह अपनी पत्नी और अवयस्क पुत्री को नियमित रूप से मासिक आधार पर अंतरिम भरण-पोषण राशि का भुगतान भी करेगा।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



4. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के दृष्टिगत और न्याय के हित में, विपक्षी संख्या 2 और 3 को नोटिस जारी किए बिना, आदेश दिनांक 10.07.2026 को इस सीमा तक संशोधित किया जाता है कि आवेदन की तिथि अर्थात् 22.06.2026 से 09.07.2026 तक की अंतरिम भरण-पोषण राशि का बकाया द.प्र.सं. की धारा 125/बी.एन.एस.एस. की धारा 144 के अंतर्गत लंबित आवेदन के अंतिम निर्णय तक स्थगित रहेगा। हालांकि, पुनरीक्षणवादी को निर्देश दिया जाता है कि वह आदेश की तिथि अर्थात् 10.07.2026 से भरण-पोषण राशि के सभी देयकों/बकाये का भुगतान करे और अपनी पत्नी और अवयस्क पुत्री को नियमित रूप से मासिक आधार पर भरण-पोषण राशि का भुगतान करेगा।

5. यदि पुनरीक्षणवादी पूर्वोक्त किसी भी निर्देश का अनुपालन करने में विफल रहता है, तो प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बिजनौर, प्रचलित विधि के अनुसार आदेश दिनांक 10.07.2026 के संदर्भ में पुनरीक्षणवादी से भरण-पोषण राशि के बकाये की वसूली के लिए कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होंगे। प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बिजनौर को निर्देश दिया जाता है कि वे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **रजनेश बनाम नेहा और एक अन्य, (2021) 2 सर्वोच्च न्यायालय वाद 324 के वाद** में प्रतिपादित विधि के आलोक में, कोई अनावश्यक स्थगन प्रदान किए बिना, पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, अधिमानतः छह माह की अवधि के भीतर द.प्र.सं. की धारा 125/बी.एन.एस.एस. की धारा 144 के अंतर्गत लंबित आवेदन पर अंतिम आदेश पारित करें।

6. पूर्वोक्त निर्देशों के साथ, यह पुनरीक्षण **निस्तारित** किया जाता है।

न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरि)

20 अगस्त, 2026

मनीष हिमवान

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”